(809) Date 26/07/22

जिला शिक्षा अधीक्षक, पलामू

पलामू समाहरणालय, मेदिनीनगर- 822101 दूरभाष सं0-06562-222621 ई-मेलः-Palamau.MDM@gmail.com

M.S. 27/07/22

पत्रांक-97 (MDM)

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधीक्षक,
पलामू।

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग,
झारखण्ड, राँची।

मेदिनीनगर, दिनांक- 21/07/2022

विषयः- उत्क0प्रा0वि0 तेलियादोहर, प्रखण्ड-मनातू के निरीक्षण प्रतिवेदन के आलोक में कार्रवाई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निवेदनपूर्वक कहना है कि भवदीय के साथ दिनांक 21.07.2022 को पूर्वाह्न 11:30 बजे उत्क0प्रा0वि0 तेलियादोहर, प्रखण्ड-मनातू का निरीक्षण किया गया। मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी, पलामू के पद पर कार्यरत हूँ तथा दिनांक 01.02.2022 से जिला शिक्षा अधीक्षक, पलामू के प्रभार में हूँ।

विद्यालय में दो सहायक अध्यापक (पारा शिक्षक) पदस्थापित है।
उपस्थिति निम्नवत् पाई गईः-

1. श्री दुलार चन्द्र साहू, वरीय सहायक अध्यापक उपस्थिति बनाकर विद्यालय से अनुपस्थित थे। उनका कोई आवेदन विद्यालय में नहीं था।
2. श्री गणेश प्रसाद गुप्ता, सहायक अध्यापक उपस्थित।

छात्र उपस्थित पंजी में वर्गवार छात्रों की उपस्थिति निम्नवत् दर्शाई गई थीः-

3. 1/3, 2. 12/36, 3. 12/31, 4. 3/7, 5. 11/22 इस प्रकार कुल- 39 छात्रों की उपस्थिति दर्शायी गई है। जबकि विद्यालय में वास्तव में कुल- 20 छात्र-छात्राए उपस्थित पाये गये।

श्री गणेश प्रसाद गुप्ता, सहायक अध्यापक द्वारा बताया गया कि छात्र उपस्थिति पंजी में छात्रों की उपसिथति श्री दुलार चन्द्र साहू के द्वारा ली गई है।

मध्याह्न भोजन के तहत् विद्यालय में चावल, दाल एवं भिंडी की भूजिया बन रहा था। रसोईया से आपके द्वारा पूछने पर रसोईया के द्वारा बताया गया कि आज 26 बच्चों का खाना बन रहा है। इस प्रकार छात्र संख्या में काफी विसंगती पाई गई।

उक्त संबंध में आपके द्वारा निदेश दिया गया कि अधिक उपस्थिति दिखाकर अधिक ली गई राशि एवं खाद्यान का संबंधित व्यक्ति को चिन्हित कर वापस कराई जाय।

प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, मनातू के प्रतिवेदन के आलोक में कुल-145 छात्र-छात्राओं को अप्रैल-2022 से जून-2022 तक मध्याह्न भोजन संचालित करने हेतु 39582/-रू0 PFMS के माध्यम से प्रखण्ड के लॉगिन पर दिया गया है जिसे प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, मनातू के द्वारा विद्यालय के सरस्वती वाहिनी संचालन समिति के बैंक खाता में PFMS DBT के माध्यम से राशि हस्तांरित किया गया।

अंकनीय है कि विद्यालय के शिक्षक को दायित्व दिया गया है कि विद्यालय के प्रधान शिक्षक एतद संबंधी एक पंजी बच्चों की वास्वीक संख्या विद्यालय प्रारंभ होने के एक घंटा के भीतर सस्वती वाहिनी संचालन समिति को उपलब्ध करायेगे।

मध्याह्न भोजन योजना का खाता संचालन विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष तथा सरस्वती वाहिनी संचालन समिति के संयोजिका के संयुक्त हस्ताक्षर से किये जाने का निदेश है।

मध्याह्न भोजन योजना के वितीय प्रबंधन से संबंधित सभी अभिलेख, दस्तावेज, रोकड़ पंजी, पासबुक इत्यादि को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी सदस्य सचिव अर्थात प्रभारी प्रधानाध्यापक की हागी।

मध्याह्न भोजन योजना के रोकड़ पंजी के संधारण की जिम्मेवारी विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य सचिव अर्थात प्रभारी प्रधानाध्यापक की होगी।

योजना के दैनिक संचालन में प्रधानाध्याक की भूमिका छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने एवं अनुश्रण मात्र की होगी।

उपरोक्त के संबंध में कहना है कि प्रखण्ड स्तर पर योजना के क्रियान्वयन का दायित्व प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी की होगी।

प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को विद्यालय के निरीक्षण के कम में मध्याह्न भोजन से संबंधित रोकड़ पंजी, भंडार पंजी, चेक निर्गत पंजी, पासबुक एवं खाद्यान के भंडारण का अवलोकन करना है।

विद्यालयों से प्राप्त प्रतिवेदन समेकित कर प्रपत्र A,B,C,D,E,F में जिला शिक्षा अधीक्षक को उपलब्ध कराना।

संकुल स्तर पर संकुल साधन सेवी कार्यरत है जिनके द्वारा संकुल के विद्यालयों का अनुश्रवण किया जाता है। इन दोनों से उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की जा रही है।

वर्तमान में श्री सच्चितानन्द सिंह, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, लेस्लीगंज प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, मनातू के प्रभार में है तथा श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, संकुल साधन सेवी है इन दोनों के द्वारा विद्यालय का निरीक्षण/ अनुश्रवण किया जाता है।

चुंकि श्री दुलार चन्द्र साहू, वरीय सहायक अध्यापक के द्वारा गलत उपस्थिति दर्ज की गई है तथा सस्वती वाहिनी संचालन समिति को सही आकड़ा उपलब्ध नही कराया गया है। ऐसा परिलक्षित होता है कि श्री साहू के द्वारा पूर्व में भी छात्रों की गलत उपस्थिति पंजी में दर्ज की गई है एवं मध्याह्न भोजन की राशि का गबन किया गया है। इस संबंध में श्री दुलार चन्द्र साहू, वरीय अध्यापक पूर्णरुपेण जवाबदेह है।

अतः श्री दुलार चन्द्र साहू, वरीय अध्यापक के द्वारा किये गये घोर अनियमितता/मध्याह्न भोजन योजन की राशि एवं खाद्यान का गबन हेतु श्री साहू को अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 14.04.2022 के आलोक में वृहद दण्ड यथा मानदेय वृद्धि में कटौती, सेवा मुक्त करने एवं राशि एवं खाद्यान के वसूली हेतु पंचायत के पंचायत प्रशासनिक -सह- अनुशासनिक प्राधिकार को अनुशंसा सहित भेजी जा रही है।

श्रीमान् की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

जिला शिक्षा अधीक्षक,
पलामू।